

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल प्रवेश में दवियांगों के अधिकारों का वसितार

[स्रोत: HT](#)

सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त दवियांगता मानदंडों के आधार पर वयक्तियों को शक्तिषा के अवसरों से वंचति करने के खलिाफ फैसला सुनाया है। इसने दवियांगता मूल्यांकन बोर्डों को यह मूल्यांकन करने का नरिदेश दिया कि कविया कसिी वयक्तकी दवियांगता वासुत्व में उसे सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने से रोकती है।

- यह नरिणय वर्ष [1997 के गरेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन](#) को दी गई चुनौतियों के बीच आया है, जिसके तहत पहले 40% या उससे अधिक दवियांगता वाले वयक्तियों को MBBS पाठ्यक्रमों से बाहर रखा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 40% या उससे अधिक की मानक दवियांगता (या दवियांगता के आधार पर अन्य नरिधारति प्रतशित) होने मात्र से कसिी अभ्यरुथी को आवेदति पाठ्यक्रम के लयि पात्र होने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
 - यह वयक्तगित मूल्यांकन के महत्व पर बल देता है तथा [दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016](#) के अंतरगत समावेशी नीतियों की वकालत करता है।
 - वर्ष 2016 RPwD अधनियम दवियांगता अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों का समरुथन करता है, जिसका उद्देश्य दवियांग वयक्तियों के पूरण अधिकारों और सुवतंतरता को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।
- दवियांगजन सशक्तकिरण वभिाग (DEPwD) दवियांगजन सशक्तकिरण अधनियम के कार्यानवयन की देखरेख करता है। दवियांगता मूल्यांकन बोर्ड (DAB) एक नामति पैनल है जो वयक्तियों में दवियांगता की सीमा का मूल्यांकन और प्रमाणन करने के लयि स्थापति कयिा गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के अनुसार, DAB को यह सकारात्मक रूप से दरज करना चाहयि कविया अभ्यरुथी की दवियांगता, उसके संबंधति पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बनेगी या नहीं, तथा यदईसा प्रतीत होता है तो उसे कारण भी बताना चाहयि।

और पढ़ें: [भारत में दवियांगजन, मेडिकल कॉलेज की सीटें और नर नयिम](#)